

19/10/17 वकील उमर पक्ष उप.। रिपोर्ट के वकील द्वारा जफ्त कौडी 4 नियम 27 CPC का अन्वय पेश किया जो आजाद किया गया। P.O. का V.C भीखी के द्वारा होने से पक्षी प्रवर्तन दिनांक 12/10/17 को पेश हो। ✓

12/10/17 वकील उमर पक्ष उप.। वकील रिपोर्ट नं. 1 द्वारा प्रस्तुत कपीय के संवर्ध में आपत्ति गाहिर करने हुए इस आयात के शिवाधिकार भी नहीं होने का अर्थ किया गया। इस कारण वकील कपीय को आपत्ति के शिवाधिकार सम्बन्धी नियमों की प्रति/कॉपी आगामी जेथी पर आवश्यक रूप से पेश करें। पक्षी दिनांक 27/10/17 को पेश हो। ✓

27/10/17 वकील उमर पक्ष उपस्थित। पूर्व कोर्ट दिनांक 12/10/17 की अनुपालना में आपत्ति के शिवाधिकार सम्बन्धी नियमों के कोर्ट की प्रति पेश नहीं की है। तथा वकील कपीय द्वारा प्रमाण अर्थ न्यायालय में कपीय करने के कोर्ट हुए निम्न विषय। परिवर्तनरूप यह कपीय कृषि के पक्ष से सम्बन्धित होने से धारा 75 के तहत अन्वय के कारण वकील कपीय द्वारा कोर्ट नियमों का पेश नहीं किया जाने से कपीय शिवाधिकार के बाहर होने से इसी हल पर खर्च की जाती है। कपीय संक्षेप आयात में कपीय प्रस्तुत करें। पक्षी पक्षी सुमा होकर नगर से कम की जावे। वाइ लाइफ न्यायिक इतिहास इफ्तार हो। शिवाधिकार आयात की कपीय कोर्ट जावे। ✓

जिला कोर्ट
नगर